अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0..... सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3

न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0– 324/2015

अपीलार्थी – उषा देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट – राज्य एवं अन्य

आदेश

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा वाद सं0– 55/2014–15 में पारित आदेश के विरूद्ध प्राप्त अपीलवाद सं0– 324/2015 उषा देवी बनाम राज्य एवं अन्य दाखिल की गई है। नामांकन के बिन्दु पर अपीलार्थी, संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा ईटहरी एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा ईटहरी को इसकी सूचना पत्रांक 386 दिनांक 06.06.2015 से दी गई थी तथा वर्ष 2012 का निर्गत पंजी की माँग की गई थी। उनके द्वारा निर्गत पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया।

अभिलेख के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला आँगनबाड़ी केन्द्र का स्थानान्तरण वार्ड आधारित Shifting से संबंधित है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि अपीलार्थी आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती उषा देवी केन्द्र सं0– 37 शमशुद्दीन मुशहरी केन्द्र जो वर्ष 1998 से कार्यरत है का स्थानान्तरण वार्ड नं0– 07 से वार्ड नं0 10 में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा इटही के पत्रांक 205 दिनांक 18.06.2012 से किया गया जब कि वार्ड नं0– 07 के ही आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती निर्मला देवी केन्द्र सं0– 38 शमशुद्दीन दक्षिण केन्द्र का

स्थानान्तरण वार्ड नं0– 10 में होना चाहिए क्योंकि श्रीमती निर्मला देवी का चयन 2004 में किया गया है। विभागीय पत्रांक 622 दिनांक 16.02.2012 के अनुसार यदि एक ही वार्ड में दो आँगनबाड़ी सेविका हो तो वैसी स्थिति में जिनका चयन बाद में किया गया हो यानि जो कम समय से कार्यरत है उनका स्थानान्तरण होना चाहिए। अपीलार्थी का स्थानान्तरण नियम के विरूद्ध किया गया है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा वाद सं0– 55/2014–15 में पारित आदेश पूर्णतः गलत है जिसके विरूद्ध अपील दाखिल की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि इसी पत्रांक 205 दिनांक 18.06.2012 (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा इटहरी स्तर से निर्गत) से वार्ड नं0– 10 की आँगनबाड़ी सेविका श्रीमती वीणा कुमारी का भी स्थानान्तरण Shifting वार्ड नं0– 12 में किया गया है। इस प्रकार एक ही पत्रांक एवं दिनांक से दो सेविका का Shifting आदेश निर्गत होना अनुचित है तथा ऐसी परिस्थिति में स्थानान्तरण आदेश पर रोक/स्थगन आदेश बहाल रखते हुए अंतरिम आदेश पारित करने हेतु अनुरोध किया गया ताकि अपीलार्थी पूर्व के स्थान आँगनबाड़ी केन्द्र सं0– 37 के पोषक क्षेत्र में सही रूप से कार्य कर सके।

उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा इटहरी द्वारा लिखित पक्ष रखने हेतु कहा गया परन्तु उन्होंने अपना पक्ष मौखिक रूप से रखते हुए बताया कि अपीलार्थी श्रीमती उषा देवी आँगनबाड़ी सेविका वार्ड नं0– 07 केन्द्र सं0– 37 का गठन वाद में वर्ष 1998 में हुआ है जबकि श्रीमती निर्मला देवी आँगनबाड़ी सेविका केन्द्र सं0– 38 का गठन वर्ष 1997 में हुआ है अतः उनके द्वारा श्रीमती उषा देवी का किया गया स्थानान्तरण सही है। किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह कहना कि केन्द्र सं0– 38 का गठन वर्ष 1197 में किया गया तथा केन्द्र सं0– 37 का गठन 1998 में किया गया काफी हस्यास्पद प्रतीत होता है। चूँकि पहले 37 होता है ना कि 38 यह तो तय माना जाना चाहिए कि केन्द्र सं0– 37 का गठन वार्ड नं0–07 के लिये हुआ तत्पश्चात् 38 का गठन वार्ड नं0– 07 के लिए हुआ होगा केन्द्र सं0– 38 की सेविका निर्मला देवी का चयन 2004 में हुआ जबकि अपीलार्थी का चयन 1998 में हुआ इस प्रकार निम्न न्यायालय सहरसा का आदेश त्रुटिपूर्ण है। खंडित करने योग्य है। वार्ड नं0 10 की सेविका श्रीमती वीणा देवी का भी Shifting आदेश पत्रांक 205 दिनांक 18.06.12 से किया गया है। वार्ड नं0– 10 का केन्द्र वर्त्तमान में रिक्त है जहाँ के लाभुक सरकारी लाभ से वंचित है।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा इटहरी द्वारा विभागीय निदेश आधारित संतोषप्रद पक्ष नहीं रखा गया और न ही वर्ष 2012 का निर्गत पंजी प्रस्तुत किया गया ताकि पत्रांक 205 दिनांक 18.06.2012 के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाये गये बिन्दु का जाँच/सत्यापन की जाती। इसका मतलब साफ है कि पत्रांक 205 दिनांक 18.06.2012 आदेश ही पूर्णतः गलत है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विभागीय पत्रांक 622 दिनांक 16.02.2012 के आलोक में ही स्थानान्तरण Shifting होना चाहिए। चूँकि मार्गदर्शिका में अंकित है कि सी0डी0पी0ओ0 इस प्रक्रिया को लागु करने में काफी महत्वपूर्ण भुमिका निभानी चाहिए, मतलब साफ है, मार्गदर्शिका का पालन होना चाहिए।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में उपस्थापित साक्ष्यों के अवलोकन पश्चात् ऐसा प्रतीत होता हैं कि तत्काल जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा स्तर से पारित आदेश के संबंध में अंतरिम आदेश पारित करना आवश्यक है।

अतः अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश किया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहरसा द्वारा पारित स्थानान्तरण आदेश पर अस्थाई रूप से रोक लगाई जाती है जब तक इस अपीलवाद की संपूर्ण सुनवाई नहीं हो जाती है सभी पक्षकारों को पूर्ण सुनवाई होने तक अपीलार्थी श्रीमती उषा देवी अपने पूर्व के चयन स्थान वार्ड नं0– 07 में केन्द्र सं0– 37 पर आँगनबाड़ी सेविका रूप में कार्य करेंगी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनमा इटहरी को निदेश दिया जाता है कि तत्काल वार्ड नं0–10 के रिक्त आँगनबाड़ी केन्द्र को निकटतम वार्ड नं0– 9 की सेविका (बगल के केन्द्र से) Tag कर लाभुको का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

16.6.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

16.6.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा